दिनांक 11.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 572/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद कौशाम्बी से गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त/गैंग सरगना रेहान कानपुर से गिरफ्तार।

दिनाक–10–11–2026 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–132/2026 धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित अभियुक्त रेहान को कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

रेहान पुत्र मुस्तफा उर्फ बन्ने निवासी चमरूपुर, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

मेट्रो स्टेशन ट्रान्सपोर्ट नगर के सामने सीबू के चाय की दुकान के पास, थाना क्षेत्र जूही, कमिश्नरेट कानपुर नगर। दिनांक 10–11–2026 समय 18:35 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अभियुक्त के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उपनिरीक्षक श्री गुलजार सिंह, मुख्य आरक्षीगण साजिद अली, प्रभन्जन पाण्डेय, अजय सिंह यादव, अनूप राय व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद कानपुर नगर में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी। इसी दौरान थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–132/2026 धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त रेहान के थाना क्षेत्र जूही कमिश्नरेट कानपुर नगर में छिपे होने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त स्थान से अभियुक्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रेहान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह ग्राम चमरूपुर, थाना क्षेत्र कोखराज, जनपद कौशाम्बी का मूल निवासी है, जिसका पशु वध/गोवंष तस्करी करने का एक संगठित गिरोह है। वह इस गैंग का सरगना है। दि0

07–03–2024 को ट्रक कन्टेनर वाहन नं0–एन0एल0–01–ए0एफ0–2144 में गोवंश लादकर फतेहपुर की तरफ से वाराणसी, बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे थाना क्षेत्र कोखराज, जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा चेंकिग के दौरान पकड़ लिया गया। उक्त वाहन में 26 गोवंश लदे हुए पाये गये, जिसके सम्बन्ध में थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर मु0अ0सं0–40/2024 धारा–8/5/3 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वह वांछित/फरार चल रहा था। यह भी बताया कि उसके व गैंग के सदस्यों के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, बांदा, वाराणसी व इटावा के विभिन्न थानों पर कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। दि0 12–03–2026 को थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर मु0अ0सं0–132/2026 धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसपर उसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित हुआ। इसकी जानकारी होने पर वह ट्रान्सपोर्ट नगर, जनपद कानपुर नगर में लुक–छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त रेहान उपरोक्त को थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–132/2026 धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की विवेचना थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी से होने के कारण थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त रेहान उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	364/2010	392/411 भादवि	कोखराज	कौशाम्बी
2.	480/2010	2/3 उ0प्र0 गुण्डा एक्ट	कोखराज	कौशाम्बी
3.	82/2018	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कोखराज	कौशाम्बी
4.	501/2018	3/25 आर्म्स एक्ट	कोखराज	कौशाम्बी
5.	34/2019	3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम	रोहनियॉ	वाराणसी
6.	222/2019	429 भादवि व 3 गोवध निवारण अधिनियम	गरवा	बांदा
7.	29/2022	3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम	वैदपुर	इटावा
8.	145/2022	307/429 भादवि व 3क/8 गोवध निवारण अधिनियम	सैनी	कौशाम्बी
9.	146/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	सैनी	कौशाम्बी
10.	214/2022	2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	सैनी	कौशाम्बी
11.	40/2024	धारा–8/5/3 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम	कोखराज	कौशाम्बी
12.	41/2024	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	कोखराज	कौशाम्बी
13.	132/2026	2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम	कोखराज	कौशाम्बी

कमिश्नरेट लखनंऊ/थाना कोतवाली हजरतगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 10.11.2026 की रात्रि थाना कोतवाली हतरतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त निहाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली हजरतगंज क्षेत्रान्तगर्त अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली हजरतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली हजरतगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निहाल निवासी पानी की टंकी के पीछे निकट दशमेश अपार्टमेंट थाना हुसैनगंज, लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन (MD)**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 11.11.2026 को थाना फजलगंज, सर्विलांस व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना गोविन्दनगर पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे

के पास से अभियुक्त रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन (MD), 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान अहमद निवासी आजादनगर थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर वर्तमान पता–मुंशीपुरवा थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन (MD)।

2–02 मोबाइल फोन।

————————